

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Notification

New Delhi, the 28th February, 2017

G.S.R. _____ (E) - In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 434 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) read with sub-section (1) of section 239 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) (hereinafter referred to as the Code), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Transfer of Pending Proceedings) Rules, 2016, namely: -

1. Short title and Commencement:- (1) These rules may be called the Companies (Transfer of Pending Proceedings) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Transfer of Pending Proceedings) Rules, 2016, in rule 5, in sub-rule (1) in the proviso for the words "sixty days" the words "six months" shall be substituted.

[F. No. 1/5/2016-CL-V]

(Amardeep Singh Bhatia)
Joint Secretary

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* notification number G.S.R 1119(E) dated the 7th December, 2016.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-11, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

अधिसूचना

सा.का.नि. _____ (अ).- केन्द्रीय सरकार दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) (जिसे इसके बाद संहिता कहा गया है) की धारा 239 की उपधारा (1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 434 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) नियम, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) नियम, 2016, में नियम 5 में, उप-नियम (i) के परंतुक में "साठ दिन" शब्दों को "छह माह" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं.1/5/2016-सीएल.व]

(अमरदीप सिंह भाटिया)
संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम दिनांक 07 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1119(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-11, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।